



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072020-220697  
CG-DL-E-27072020-220697

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2158]  
No. 2158]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/ श्रावण 5, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SRAVANA 5, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020

का.आ 2445(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से उक्त अधिनियम की धारा 435 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित न्यायालय को अभिहित करती है, अर्थात :-

सारणी

क्र. सं.	न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, कामरूप (एम), गुवाहाटी	असम राज्य

[फा.सं. 01/12/2009-सीएल-1 (खंड IV)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th July, 2020

**S.O. 2445 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Gauhati hereby designates the Court mentioned in column (2) of the Table below as Special Court for the purposes of providing speedy trial of offences under clause (b) of sub-section (2) of section 435 of the said Act, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
1	Court of Chief Judicial Magistrate, Kamrup (M) at Guwahati	State of Assam.

[F.No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

K.V. R. MURTY, Jt. Secy.